R.P. 4057
दिनांक 3.10.96

(98)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R 83-III/96

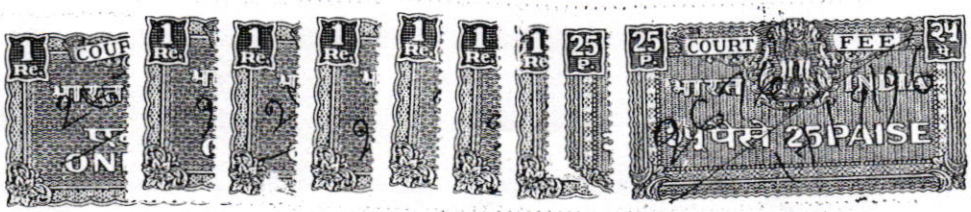

C.P.B.7.50

R.1891-3/03

1. राधेश्याम तनय भागीरथी काछी

2. चन्द्र तनय मनफेर

3. मुसमात उदसिया बेवा परदेशी

4. अर्जुन तनय परदेशी संरक्षिका मां उदसिया,

5. मुसमात एतवारिया पति भागीरथी

सभी निवासी ग्राम कलवार तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी म.प्र. ---------- आवेदकगण

बनाम

[struck-through text] शिवाशरण उम्र 35 साल (मृतक)

(अ) रामनाथ तनय शिवाशरण उम्र 32 साल, } निवासी ग्राम कलवार

(ब) जगदीश प्रसाद तनय शिवाशरण, } तहसील रामपुरनैकिन

(स) सुखमन्ती बेवा शिवाशरण, } जिला सीधी, म.प्र.

(द) श्रीमती राधे पुत्री शिवाशरण पत्नी देवशरण, } सा. टकटैया तहसील

(ई) श्रीमती रामरती पुत्री शिवाशरण पत्नी शिवाशरण } चुरहट, जिला सीधी

(क) वेदवती पुत्री शिवाशरण पत्नी लक्ष्मण प्रसाद सा. कैदला तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

(ख) श्रीमती कलावती पुत्री शिवाशरण पत्नी हरिकर सा. चुरहट, तहसील चुरहट जिला सीधी, म.प्र. ---------- अनावेदकगण।

श्री बृजेन्द्र पाण्डेय अभिभाषक सीधी द्वारा आज दिनांक 17-9-96 को सुना

सहायक अधीक्षक जिला कार्यालय सीधी

17-III
आज दिनांक 3-10-96 को ... द्वारा पेश
3-10-96
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 483/अपील/91-92 में पारित आदेश दिनांक 20.6.96 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदकगणों की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है :--

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस तरह हैं कि :--

(ए) उत्तरवादीगणों के पिता शिवाशरण ने तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि उसे बटवारा

...पृ. 2 पर...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1891–तीन/2003 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –9 –2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 483/अपील/91–92 में पारित आदेश दिनांक 20.06.96 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक सियाराम (वर्तमान प्रकरण में मृतक) ने तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर उसका जरिये हिस्साबाट पुराना कब्जा दखल है, परन्तु अभिलेख में उसका कब्जा नहीं लिया गया है । नायब तहसीलदार ने जांच के पश्चात अनावेदक सियाराम को कब्जा लिखे जाने का आदेश दिया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील मंजूर करते हुये नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के लिये न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 483/अपील/91–92 में पारित आदेश दिनांक 20.06.96 से द्वितीय अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।	

3/ आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल म0प्र0 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 हेतु प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अनुशरण नहीं किया है और न्यायिक मान्यताओं के अनुकूल संहिता की धारा 115 की व्याख्या नहीं किया है । संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत आधिपत्य की नवीन इन्द्राज सृजित नहीं की जा सकती, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश के माध्यम से अनावेदकगणों का कब्जा लिखे जाने हेतु नई इन्द्राज सृजित करने का आदेश पारित किया गया है जो हर्गिज न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत उचित है कि किसी भूमि पर भूमिस्वामी के विरूद्ध आधिपत्य स्थापित होने की परिस्थिति में तहसीलदार को आधिपत्य की जानकारी होने पर संहिता की धारा 115 के अधीन कार्यवाही करना चाहिये था, किन्तु इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के अभिमत का विरोध करते हुये अनुरोध किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर किंचित ध्यान नहीं दिया है कि संबंधित भूमि में कब्जा के संदर्भ में जानकारी का स्त्रोत वह व्यक्ति हर्गिज नहीं हो सकता जो आधिपत्य का दावा करता हो । यहां पर यह तथ्य स्मणीय है कि अगर कब्जा का दावा करने वाला व्यक्ति तहसीलदार के समक्ष कब्जा लिखे जाने या खसरा सुधार का आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही संहिता की धारा 116 के प्रावधान लागू हो । संहिता की

धारा 116 के तहत " यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा । तहसीलदार ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे मामले में आवश्यक आदेश देगा।" संबंधित विषय को संहिता की धारा 115 की विषयवस्तु बनाया जाना संभव नहीं रह जायेगा । ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामपुर नैकिन ने बिना खसरा–खतौनी के अवलोकन के अनावेदकगण के आवेदन–पत्र के आधार पर धारा 115 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आदेश दिया है । यद्यपि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत उल्लेखित है कि– " खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण–यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा

114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात, संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निर्देश देगा। " क्योंकि धारा 115 की व्याप्ति केवल धारा 114 के अधीन की गई प्रविष्टि तक सीमित है। तथापि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के पिता का लिखा गया गलत नाम धारा 32 के साथ पठित इस धारा के अधीन शुद्ध किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन धाराओं का विधिवत अवलोकन नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि उक्त धारा के परिपालन में आदेश पारित किया जाये किन्तु विधि के विपरीत आदेश पारित कर वैधिक त्रुटि की है । इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामपुर नेकिन के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है, जो कि मेरे मतानुसार उचित है । मैंने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश का भी अध्ययन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार ने आवेदक के आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का से रिर्पोट बुलवाई है एवं उस रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है न कि आवेदक के आवेदन पत्र पर । नायब तहसीलदार को तथ्य की जानकारी के लिये कोई श्रोत चाहिये तभी वह तथ्य का पता लगाकर आदेश पारित कर सकता है । खसरे को अद्यतन करने का उत्तरदायित्व राजस्व अधिकारियों का है । इस कारण नायब तहसीलदार

का उत्तरदायित्व है कि वह सही जांच कर अभिलेख का अद्यतन रखे । अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीवा तथा नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन ने जो आदेश पारित किया है वह विधि के विपरीत है । अपर आयुक्त ने बिना विचार किये आदेश पारित किया है ।

6/ उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुये अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.96 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.92 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य